कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रमांक/1756/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 28/05/2020

कार्यालयीन आदेश 23.04.2020 एवं 04.05.2020 के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु लॉकडाउन के दौरान जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं के खुलने एवं बंद होने के संबंध में शासन के आदेशानुसार आदेश दिनांक क्रमशः 03/05/2020 एवं 17.05.2020 तक की समय सीमा हेतु आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में शासन के द्वारा दिनांक 31.5.2020 तक लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई गई है। छ.ग. शासन के निर्देशानुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक 70/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 17.5.2020 के माध्यम से जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण जिले में दिनांक 31.5.2020 तक लागू किया गया है।

अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अनुक्रम में सभी निर्देशों को समेकित एवं स्पष्ट करते हुए निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया जाता है एवं जिलान्तर्गत निम्नानुसार व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों के खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है-

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>संस्थान/दुकानों का विवरण</th><th>खुलने एवं बंद होने का समय/स्थिति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मेडिकल स्टोर्स, मेडिकल उपकरण की बिक्री व रिपेयर, मेडिकल के पैकेजिंग से संबंधित सेवाएं</td><td rowspan="12">सामान्य रूप से पूर्ववत् खुलने एवं बंद होने का समय रहेगा, परन्तु दुकानदार एवं ग्राहक दोनो के लिए सोशल डिस्टेंस (शारीरिक दूरी) मेनटेन किया जावे। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति मास्क, रूमाल अथवा गमछा से मुंह एवं नाक ढके रहेगें। इसकी अवहेलना किसी भी स्थिति में न की जावे।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सभी प्रकार के हॉस्पीटल, लैब</td></tr>
<tr><td>3</td><td>राईस मिल</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पेट्रोल पंप, गैस सिलेण्डर वितरक एजेंसी</td></tr>
<tr><td>5</td><td>सब्जी, फलों की दुकानें</td></tr>
<tr><td>6</td><td>बैंक एटीएम</td></tr>
<tr><td>7</td><td>प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया</td></tr>
<tr><td>8</td><td>प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, आई.टी. रिपेयर (स्वतः कार्य करने वाले व्यक्ति)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>डी.टी.एच. एवं केबल टीवी सेवाएं</td></tr>
<tr><td>10</td><td>राशन दुकानें (पी.डी.एस.)</td></tr>
<tr><td>11</td><td>फूड प्रोसेसिंग (केवल ग्रामीण क्षेत्रों में)</td></tr>
<tr><td>12</td><td>हाईवे ढ़ाबे (TAKE AWAY मात्र सेवा प्रदान करेंगें।)</td></tr>
</table>

निम्नानुसार दुकानों एवं संस्थानों के लिए समक्ष में उल्लेखित समय अनुसार समय सीमा निर्धारित की जाती है-

क्रमांक	संस्थान/दुकानों का विवरण	खुलने एवं बंद होने का समय/स्थिति
1	खाद बीज, पेस्टीसाईड्स की दुकानें, कृषि यंत्रों की दुकानें, कृषि उपकरणों	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।

Scanned by CamScanner

	के रिपेयर्स शॉप्स	
2	अनाज मंडी, सब्जी मण्डी	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।
3	आटा तेल, दाल मिल्स	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।
4	पंचर टायर की दुकानें	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।
5	हरा चारा, टाल, पशु आहार की दुकानें, PET SHOPS & AQUARIUM (पालतू पशुओं को खाना खिलाने व पालतू पशु के आहार विकय हं)	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।
6	ऑप्टीकल्स	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।
7	किराना दुकानें, अनाज, खाद्य के पैकेजिंग से संबंधित सेवाएं	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।
8	वाटर केन की दुकानें	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।
9	गोदाम वेयरहाउस (नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर)	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।
10	बेकरी की दुकानें (केवल होम डिलेवरी)	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।
11	डेयरी, दूध पनीर की दुकानें	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।
12	चिकन, मटन, मछली अण्डा की दुकानें	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।
13	स्टेशनरी की दुकानें	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।
14	बीमा सेवाएं, बीमा कम्पनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, सहकारी ऋण सोसायटियां	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।
15	बिजली के पंखे की दुकानें	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।
16	इलेक्ट्रीकल्स,प्लमबिंग की दुकाने, आटोमोबाईल्स टायर एवं पार्ट्स की दुकानें	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।
17	सीमेंट, सरिया/हार्डवेयर दुकानें	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।
18	मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें	सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक।

उपरोक्त उल्लेखित व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं संस्थानें सप्ताह के सातों दिवस खुल सकेंगी।

शासन द्वारा जारी पत्र कमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13.3.2020 के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा जारी उक्त पत्रान्तर्गत कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।

Scanned by CamScanner

कार्यालयीन आदेश कमांक 1487/एस.डब्ल्यु/2020 सूरजपुर, दिनांक 02/05/2020 के माध्यम से घोषित जजावल कन्टेन्मेंट क्षेत्र में यह आदेश लागू नहीं होगा। वहां कोई भी छूट नहीं है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा, जो दिनांक 31 मई 2020 तक या आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील होगा।

(रणबीर शर्मा)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन कमांक/ 1756A /वाचक/2020

सूरजपुर, दिनांक 28.05.2020

प्रतिलिपि,

1. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज, अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर/भैयाथान/प्रतापपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. उप संचालक, जनसंपर्क सूरजपुर को सभी दैनिक समाचार पत्रों को प्रकाशनार्थ प्रेषित।
6. सर्व तहसीलदार, जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner